

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010—चैत्र 15, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-28-2006-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है :-

क्रमांक (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	जिला (3)
1	बड़वानी	बड़वानी
2	सेंधवा	बड़वानी
3	खेतिया	बड़वानी
4	झाबुआ	झाबुआ
5	थांदला	झाबुआ
6	माचलपुर	राजगढ़
7	गैरतगंज	रायसेन
8	करेली	नरसिंहपुर
9	मेहगांव	भिण्ड
10	गोहद	भिण्ड
11	लहार	भिण्ड
12	आलमपुर	भिण्ड
13	अम्बाह	मुरैना
14	चाकघाट	रीवा

(1)	(2)	(3)
15	हनुमना	रीवा
16	अनूपपुर	अनूपपुर

(2) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है।

(3) यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

पृ. क्र. डी-15-28-2006-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल अपर सचिव.

Bhopal, the 5th April 2010

No. D-15-28-2006-XIV-3.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committees :—

S. No. (1)	Name of the market committee (2)	District (3)
1	Badwani	Badwani
2	Sendhawa	Badwani
3	Khetiya	Badwani
4	Jhabua	Jhabua
5	Thandla	Jhabua
6	Machalpur	Rajgarh
7	Gairatganj	Raisen
8	Kareli	Narsinghpur
9	Mehgaon	Bhind
10	Gohad	Bhind
11	Lahar	Bhind
12	Alampur	Bhind
13	Ambah	Morena
14	Chakghat	Rewa
15	Hanumana	Rewa
16	Anuppur	Anuppur

3. Notwithstanding what is stated in para (1) the levy of market fee in the case of only oranges and bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price.

4. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.